न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/159/2024 रजू दिनांकः 22.11.2024 रजि0 न0 2024/272

अपीलार्थीः–

श्री प्रकाश जांगिड, निवासी 224, स्कूल की तरफ, करन्वा, देसूरी, जिला पाली–306603 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 27.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 28.09.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2327 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आवेदन संख्या 293301888757669 दिनांक 28.09.2024 के संबंध मे सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। उक्त वांछित सूचना के संबंध में इस लोक प्राधिकरण/लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग/कार्यालय से सूचना/जानकारी प्रापत किए जाने पर, कोषाधिकारी, अलवर के पत्रांक कोष/अल/स्टाम्प/2024/300 दिनांक 09.12.2024 के माध्यम से प्राप्त 03 पृष्ठीय सूचना RTI Online Portal Despatch No. 7698930229 Date 10.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। अन्य कोई सूचना शेष/अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में 03 पृष्ठीय सूचना RTI Online Portal Despatch No. 7698930229 Date 10.12.2024 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक सम/2328 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा प्रमाणित प्रती संलग्न कर उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 27.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)